

सेवामें,

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सिवाना जिला बालोतरा

विषय:- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम दुर्गापुरा की जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 60 में मेरा/हमारा नाम लखतार सिंह पुत्र किशोर सिंह पुत्र शरणप्रताप दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा/हमारे शुद्ध नाम लखतार सिंह पुत्र किशोर सिंह हैं।
 अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरवाने की कृपा करावें।

हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक

ग्रामीण के लखतार सिंह पुत्र किशोर सिंह पुत्र शरणप्रताप के खाता संख्या 60 में मेरा/हमारा नाम लखतार सिंह पुत्र किशोर सिंह पुत्र शरणप्रताप दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा/हमारे शुद्ध नाम लखतार सिंह पुत्र किशोर सिंह हैं।

24/10/2025
 IWR राखी

नेक
 20/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक अनुसार उपर्युक्त दुरुस्ती किया जाना उचित हैं।

qums - 2025/575

आदेश

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
 समदड़ी

क्रमांक: ग्रा.से.शि./2025/1742

दिनांक: 24/10/2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदड़ी अनुसार ग्राम दुर्गापुरा की जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 60 में लखतार सिंह पुत्र किशोर सिंह के स्थान पर सम्मान जनक इन्द्राज लखतार सिंह पुत्र किशोर सिंह करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही की जावे।



उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
 सिवाना (बालोतरा)